

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो  
कार्यालय जिला अफीम अधिकारी,  
जावरा प्रथम, जिला रतलाम (म0प्र0)



Government of India  
Ministry of Finance  
(Deptt. Of Revenue)  
Central Bureau of Narcotics  
Office of the District Opium Officer  
Jaora first District, Ratlam(M.P.)

फोन नं. 07414-230411

फैक्स नं. 07414-230411

email doo-jaora1@cbn.nic.in

## नीलामी विज्ञप्ति


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, जावरा प्रथम खण्ड में डेड स्टॉक सामग्री (अनुपयोगी सामग्री) का निस्तारण किया जाना है। नीलामी दिनांक 28.01.2025 को कार्यालय परिसर में प्रस्तावित है। इच्छुक बोलीकर्ता दिनांक 27.01.2026 को कार्यालय समयान्तराल 09:30-18:00 बजे के बीच में डेड स्टॉक सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं। निविदा की न्यूनतम आरक्षित दर रूपये 7500/- (सात हजार पांच सौ मात्र) रखी गई है। बोलीकर्ता को बोली से पूर्व बयाना राशि 1,000/- रूपये (लौटाने योग्य) नगद जमा कराने होंगे एवं पहचान पत्र की फोटोकॉपी मयमूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को बोली आवंटित की जायेगी। अगर उच्चतम बोलीदाता पुष्टि के बाद मुकर जाता है तो उसके द्वारा जमा की गयी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी।

नीलामी की शर्तें निम्नानुसार रहेगी-

1. प्रस्तावित डेड स्टॉक सामग्री के विक्रय हेतु सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले बोलीकर्ता को उक्त डेड स्टॉक सामग्री सौंपी जायेगी।
2. उक्त डेड स्टॉक सामग्री के परिवहन हेतु वाहन एवं मजदूरों से संबंधित समस्त व्यय स्वयं बोलीकर्ता को वहन करना होगा।
3. डेड स्टॉक सामग्री की प्रस्तावित दर पर वास्तविक क्रेता (अधिकतम बोलीकर्ता) को मूल राशि भारतकोष के माध्यम से 2 दिन के भीतर कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. डेड स्टॉक सामग्री को 5 दिन के भीतर कार्यालय परिसर से ले जाना आवश्यक होगा।
5. अधिकतम बोलीकर्ता द्वारा डेड स्टॉक सामग्री ले जाने के पश्चात क्रय/विक्रय संबंधित सभी करों का भुगतान स्वयं बोलीकर्ता को करना होगा।
6. नीलामी के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, जावरा प्रथम खण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
7. नीलामी के लिए सामग्री को बोली हेतु सरल कागज पर बंद लिफाफे में आवेदन कर सकते हैं।

नोट- प्रस्तावित डेड स्टॉक सामग्री ई-वेस्ट से संबंधित है। अतः क्रेता को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वर्तमान दिनांक तक वैध ई-वेस्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नीलाम किये जाने वाले डेड स्टॉक सामग्री (अनुपयोगी सामग्री) की सूची संलग्न है।

  
जिला अफीम अधिकारी,  
जावरा प्रथम खण्ड (म.प्र.)

कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, जावरा प्रथम खण्ड में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री की सूची, जिसका निस्तारण ई-वेस्ट के माध्यम से किया जाना है-

क्रमांक	अनुपयोगी सामग्री की सूची	संख्या
1	Hp Printer 6500A	01
2	CPU Lenova	01
3	CPU Acer	02
4	UPS 500	01
5	UPS Emerson	01
6	UPS Microtek	02
7	Compaq LCD	01
8	Compaq LCD	01
9	Lenova LCD	01
10	Viewsonic LED	01
11	Telephone Beetal	01
12	Telephone BSNL	01
13	Telephone Orpit	01
14	Keyboard	05
15	Monitor Acer	02
16	HP laserjet Printer	01
17	TV Televista	01
18	DVR Montra	01
19	Toshiba LED	01
20	Everson Heater	01
21	Big Electric Ovan	01
22	Medium Electric Ovan	03
23	Water Purifier	01
24	Inverter Mictrotek	01
25	Vaccum Clearner	01
26	Pretech Balance Machine	01

कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, जावरा प्रथम खण्ड में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री  
(Dead Stock) की सूची

क्रमांक	अनुपयोगी सामग्री की सूची	संख्या
1	व्हील चेरर	04
2	गैस चूल्हा	02
3	लोहा किचन पेटी	01
4	साईन बोर्ड	02
5	मेस बर्तन (कुकर-1, लोटा-1, तपेली-1 इत्यादि)	.
6	डेसीकंडर कांच का	01
7	डेसीकंडर स्टील का	01
8	लकड़ी का स्टैण्ड कांटे का	01
9	लोहे के ड्रम	02
10	स्टील डोगा	04
11	ट्राली लोहे की	03